"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2005—वैशाख 16, शक 1927

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2005

क्रमांक ई-7/8/2004/1/2.—श्री बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 15-4-2005 से 25-4-2005 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14-4-2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय से विदेश प्रवास (कनाडा) की अनुमति भी दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रे, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री रे, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रे, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईशिता राय, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2005

क्रमांक ई-7/13/2004/1/2.—श्री एम. के. राउत, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 16-5-2005 से 3-6-2005 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15-5-2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राउत, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राउत, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राउत, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2005

कमांक 970/640/2005/1/2.—श्री सत्यजीत ठाकुर, भारतीय प्रशासनिक सेवा को दिनांक 27-1-2005 से 7-3-2005 तक (40 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8-3-2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ-2/09/32/05.—एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक एफ/2-9/32/04 रायपुर दिनांक 10-5-2004 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) के अंतर्गत ग्राम डुमरतराई में उपांतरण प्रस्तावित किये गये हैं जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम डुमरतराई रायपुर के खसरा क्रमांक 65, 66/1, रकबा 1.6.हेक्ट. की सूचना में किये गये उल्लेख अनुसार रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में निर्धारित उपयोग आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान) से वाणिज्यिक में उपांतरण करने की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण ग्राम डुमरतराई के अंतर्गत रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 1-16/04/11/6.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक बी-1-1/2005/एक/4 दिनांक 15-3-2005 द्वारा श्री संजीव बख्शी (रा. प्र. से.-पी-94-वरिष्ठ श्रेणी) अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. श्री बख्शी को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) की धारा 4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 58 (1) के तहत पंजीयक की समस्त शक्तियां आगामी आदेश होने तक प्रदत्त की जाती है.

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 8-10/2004/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पश्चिम), कोरबा के बायलर क्रमांक एम.पी./3555 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1-11-2004 से दिनांक 6-2-2005 तक की कार्योत्तर छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2005

क्रमांक 931/165/05/19 तक.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य में लोक निर्माण विभाग के अधीन निम्न सूची अनुसार विद्यमान ग्रामीण/अन्य जिला मार्गों को मुख्य जिला मार्ग घोषित करता है.

स. क्र.	मार्ग का नाम	लंबाई कि.मी.	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सल्फा मोतिमपुर चुनचुनिया धूमा बासीन अमलडीहा मार्ग	22.20	बिलासपुर
2.	बिल्हा बरतोरी अमलडीहा मार्ग	17.80	बिलासपुर
3.	बस्तोरी दगौरी मार्ग	9.00	बिलासपुर
4.	झाल नागपुरा मार्ग	17.60	बिलासपुर
5.	छतौना सकर्रा मार्ग	11.00	बिलासपुर
6.	बुटेना धौराभाठा मार्ग	12.40	बिलासपुर
7.	सरगांव संकेत मार्ग	13.00	बिलासपुर
8.	सरगांव पथरिया मार्ग	20.60	बिलासपुर
9.	मोहभट्ठा बदरा मार्ग	10.00	बिलासपुर
10.	बावली खरसोला उमरिया मार्ग	11.00	बिलासपुर
11.	जयरामनगर मस्तूरी मल्हार जोंधरा मार्ग	40.00	बिलासपुर
12.	बिलासपुर पासीद मार्ग	22.40	बिलासपुर
13.	तखतपुर पथरिया मार्ग	14.00	बिलासपुर
14.	तखतपुर कुकुसदा मार्ग	20.80	बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	सीपत बेलतरा मार्ग	23.10	बिलासपुर
16.	खम्हरिया सोठी जेवरा अदराली मार्ग	14.40	बिलासपुर
17.	सकरी अमसेना मार्ग	9.00	बिलासपुर
18.	खपरी बीजा करगी मार्ग	18.80	बिलासपुर
19.	तखतपुर बेलपान शांतिपुर मार्ग	17.00	बिलासपुर
20.	दैजा जोगीपुर मार्ग	23.40	बिलासपुर
21.	काठाकोनी मेडपार मार्ग	14.40	बिलासपुर
22.	निगारवन्द करनकापा पोडी सिलतरा मार्ग	10.00	बिलासपुर
23.	खमरिया राजपुर दैजा मार्ग	12.00	बिलासपुर
24.	मोछ मेडपार मार्ग	14.40	बिलासपुर
25.	रतनपुर मंजवानी केन्दा केवंची मार्ग	20.80	बिलासपुर
26.	सिंघरी लखराम मार्ग	8.90	बिलासपुर
27.	मुंगेरी लोरमी मार्ग	26.20	बिलासपुर
28.	चिरहुला पथरिया मार्ग	15.20	बिलासपुर
29.	बरदूली देवरहट मार्ग	10.20	बिलासपुर
30.	मंगला भैंसाझार मार्ग	26.20	बिलासपुर
31.	नागोपहरी झलियापुर मार्ग	14.00	बिलासपुर
32.	सोढार जगताकापा मार्ग	9.60	बिलासपुर
33.	बोधापारा घोंघापारा बोडतरा मार्ग	13.80	बिलासपुर
34.	फास्टरपुर कुण्डा मोहगांव पाण्डातराई मार्ग	24.50	बिलासपुर, कवर्धा
35.	गौरेला वेंकटरनगर मार्ग	20.00	बिलासपुर
36.	जांजगीर केरा शिवरीनारायण मार्ग	49.00	जांजगीर (चांपा)
37.	सक्ती टुण्ड्री मार्ग	31.00	जांजगीर (चांपा)
38.	रतनपुर मंजवानी केन्द्रा क्योंची मार्ग	42.00	बिलासपुर, कोरबा
39.	घरघोड़ा लैलुंगा मार्ग	44.00	रायगढ़
40.	जशपुर सन्ना मार्ग	46.20	जशपुर
41.	बिसनपुर नोनेरा सूरजपुर भैयाथान ओडगी मार्ग	88.60	सरगुजा
42.	तारा रामानुजगंज कृष्णपुर मार्ग	63.00	सरगुजा
43.	कमलेश्वर रामचन्द्रपुर सुरगी मार्ग	48.00	सरगुजा
44.	कल्याणी लटेरी दतिया सलका मार्ग	49.00	सरगुजा
45.	बलरामपुर चांदो सामरी मार्ग	49.20	सरगुजा
46.	दरिमा मैनपाट मार्ग	28.00	सरगुजा
47.	सोनतराई मैनपाट मार्ग	28.00	सरगुजा
48.	नवापरा तामा सिवनी आरंग मार्ग	30.00	रायपुर
49.	पंडरिया टोडोपार भालूकोना मार्ग	44.00	महासमुंद
50.	लवन धाराशिव ओडान खरतोरा मार्ग	44.00	महासमुंद
51.	पटेवा खल्लारी मार्ग	15.50	महासमुंद
52.	सरायपाली गाताडीह सरसींवा मार्ग	39.00	महासमुंद
53.	बलौदा बाजार रिसदा हथबंध मार्ग	48.60	रायपुर
54.	भाठापारा निपनिया बैल टुकरी लटुआ बलौदा बाजार मार्ग	47.60	रायपुर
55.	साल्हेवारा रेंगाखार चिल्फी मार्ग	60.20	कवर्धा

(1)	(2)	(3)	(4)
56.	बोडला तरेगांव दलदली मुंडादादर मार्ग	46.00	कवर्धा
57.	भानुप्रतापपुर एस. एच. दुर्ग कोंदल पंखाजूर ओरछा मरकाना मार्ग	122.00	कांकेर
58.	एन. एच. से बेडमा आमाबेडा कलगांव प्रतापपुर मार्ग	101.30	कांकेर,
59.	केसकाल बनकुई माकड़ी अमरावती मार्ग	86.60	बस्तर
60.	माकडी श्यामपुर कोण्डागांव मार्ग	31.00	बस्तर
61.	बारसूर लोहण्डीगुडा जगदलपुर मार्ग	61.20	बस्तर
62.	आममा बकावंड कोलावाही मार्ग	47.30	बस्तर
63.	मावली भाटा नेपानार कटेकल्याण मेटापाल दंतेवाड़ा मार्ग	47.40	दन्तेवाड़ा
64.	नेलसनार कोरेली कनालूर मार्ग	52.00	दन्तेवाड़ा
65.	बासागुडा पामेड मार्ग	42.00	दन्तेवाड़ा
66.	भोपालपटनम तारला गुडा मार्ग	36.00	दन्तेवाड़ा
67.	फरसगांव रोंधना माकडी एरला मार्ग	56.00	बस्तर
68.	पल्ली छोटेडोंगर ओरछा मार्ग	46.20	बस्तर
69.	पी. व्ही. 79 रेस्तराबेता मार्ग	36.00	कांकेर
70.	दोरनापाल चिंतलनार मार्ग	30.00	दन्तेवाड़ा

कृपया उक्त घोषित मुख्य जिला मार्गों के संबंध में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर उनके रखरखाव नियमानुसार मुख्य जिला मार्ग हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 9-37/दो-गृह/2005.—सहायक वन संरक्षकों वन विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र "प्रक्रिया तथा लेखा प्रश्नपत्र-3" (बिना पुस्तकों के) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री राजेश एस. कल्लाजे	सहायक वन संरक्षक
2.	डॉ. सोमा दास	सहायक वन संरक्षक

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ-9-3/दो/गृह/05.—उत्पाद शुल्क (आबकारी) विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र "विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री रमेश कुमार अग्रवाल	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ-9-13/दो/गृह/05.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र "वन विधि' (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री राजेश एस. कल्लाजे	सहायक वन संरक्षक
2.	डॉ. सोमा दास	सहायक वन संरक्षक

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ-9-38/दो/गृह/05.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास प्रश्नपत्र तृतीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ-9-19/दो/गृह/05.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र "सामान्य विधि" प्रश्नपत्र-2 (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री राजेश एस. कल्लाजे	सहायक वन संरक्षक
2.	डॉ. सोमा दास	सहायक वन संरक्षक

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ-9-27/दो/गृह/05.—उत्पाद शुल्क (आबकारी) विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री रमेश कुमार अग्रवाल	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ-9-2/दो/गृह/05.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शांति नूतन कुजूर	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ-9-17/दो/गृह/05.—सामान्य प्रशासन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेश कुमार निगम	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
2.	श्रीमती ऋतु सेन	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
		परीक्षा केन्द्र रायपुर	
3.	श्री पार्थ प्रसाद द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर
4.	श्री चैतराम पाटिल	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2005

क्र. 21/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पचरा	0.44	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	खैरा पचरा मार्ग पर चांपी नाला सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2005

क्र./3/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सिंधरी	0.041	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	कोपरा नवापारा मार्ग में घोंघा सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/2 अ/82 वर्ष 02-03/28.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	मुकुंदपुर	2.29	कार्यपालन यंत्री, म.ज.प. बांध संभाग क्र. 2, रूद्री.	सोन्दूर प्रदायक नहर के अंतर्गत भटका पारा नहर के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1402/भू-अर्जन/21/ अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	तिर्रा	0.92	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री कोड नं. 38.	रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1398 /भू-अर्जन/22/ अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	सिलतरा	3.10	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री कोड नं. 38.	रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1394/भू-अर्जन/23/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	कोलियारी	3.04	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री कोड नं. 38.	रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1388/भू-अर्जन/24/ अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	ठेरपुटी	0.29	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री कोड नं. 38.	रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1378 /भू-अर्जन/25/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	अरौद	1.26	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री कोड नं. 38.	रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1384/भू-अर्जन/26/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	माटेगहन	0.93	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री कोड नं. 38.	रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/194.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	अचानकपुर प. ह. नं. 04	0.214	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	पासीद माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/198.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पोरथा प. ह. नं. 10	0.077	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सुवाडेरा सब माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/200.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जुड़गा प. ह. नं. 04	0.040	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	खरसिया शाखा नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/202.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पासीद प. ह. नं. 12	0.081	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	पासीद माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/733.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सपोस प. ह. नं. 15	0.90	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांण्ड व्यपवर्तन योजना के चन्द्रपुर वितरक नहर निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/737.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मड़वा प. ह. नं. 20	2.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर के मड़वा माइनर निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/125.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रगजा प. ह. नं. 06	0.194	कार्यपालन यंत्री, बांगो नहर संभाग क्रमांक-5, खरसिया.	रगजा उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/126.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	मोहगांव	0.012	कार्यपालन यंत्री, बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	टेम्पाभाठा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/127.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	अचानकपुर	0.227	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-5, खरसिया.	असौंदा माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/128.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	मलनी प.ह.नं. 4	0.471	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	मलनी माइनर नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/129.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	घोघरा प.ह.नं. 2	0.162	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-5, खरसिया.	घोघरा उप वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/147.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	नंदेली प.ह.नं. 10	0.245	कार्यपालन यंत्री, बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	लिमतरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/196.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सराईपाली प.ह.नं. 4	0.392	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग 4, डभरा.	धुरकोट उप वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1294.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	दर्री प.ह.नं. 6	1.589	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	इस्केप चैनल नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 फरवरी 2005

रा. प्र. क्र./01/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	महेबा	0.48	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, क्र. 2-अंबिकापुर.	वाड्रफनगर, जनकपुर, बलंगी राज्य मार्ग क्र. 3 के कि.मी. 13/10 पुलिया का पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/18/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 5 के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	सालेमेटा	15.37	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), बस्तर/कार्यपालन यंत्री टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2005

क्रमांक/423/वा-1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/1/अ/82-04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	दरलीपारा	1.83	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धुपकोट जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 मार्च 2005

क्रमांक 446/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-गांगपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-28.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
486	3.90
492	0.02
493	1.03
717	0.04
718	0.19
497/1	0.34
497/2	0.34
497/3	0.35
498	2.43
502	0.44
503	0.69
504	1.08
505	1.12
506	1.69
719	0.56
507	0.23
508	0.30

(1)	(2)
509	0.14
510	0.12
511	0.08
512	0.05
513	0.11
514/2	0.26
514/1	0.26
520	0.29
566/1	0.21
570	0.13
569	0.10
699/818	0.15
713	0.39
714	0.30
716	0.66
720	0.65
721	0.69
722	0.12
723	1.05
725	0.35
726	0.38
727/2	0.76
729/2	0.48
731	0.56
732/1	1.20
732/2	0.81
734	0.12
743	0.06
515	0.43
516	0.02
518/2	0.34
495	0.03
496	0.92
715	0.26
518/1	0.23
518/4	0.31
518/5	0.31
574	0.14
733	0.32
योग	28.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भुरकी जलाशय के निर्माण में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अप्रैल 2005

क्रमांक 01/अ-82/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-बहुनवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
63	0.09
65	0.05
64	0.13
58	0.13
56	0.03
53	0.06
51	0.10
52	0.07
38	0.10
101	0.05

(1)	(2)
102	0.05
योग	0.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बहुनवागांव माइनर निर्माण में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अप्रैल 2005

क्रमांक/02/अ-82/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहभट्ठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.69 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
109/1, 109/3, 109/4	0.01
109/6	0.10
109/5	0.05
108/1	0.04
108/2	0.07
111/2	0.06
111/3	0.11
113/1	0.02
195/2	0.08
195/4	0.03
196	0.11

(1)	(2)
199/1	0.01
योग	0.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुढ़पार जलाशय में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अप्रैल 2005

क्रमांक/04/अ-82/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-बेमेतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
224/1	0.24
225/2	0.08
226	0.05
228	0.17
233	0.13
231	0.09
236/3	0.02
259/2	0.16
236/2	0.11
291/2	0.02
259/1	0.07

(1)	(2)
237/3	0.07
237/2	0.07
237/1	0.08
239/1	0.15
261	0.05
264/6	0.32
264/4	0.01
264/10	0.11
321	0.13
293/1	0.06
297/3	0.03
297/2, 297/4, 297/1, 298	0.09
299/1, 2, 3	0.01
302/4	0.01
302/5	0.03
302/7	0.08
302/10	0.07
302/11	0.08
305/2	0.16
308/2	0.13
508/2	0.05
491	0.08
508/3	0.06
342/13	0.36
308/1	0.05
342/12	0.59
315	0.01
316/2	0.05
314/1	0.01
313	0.07
319	0.02
320	0.04
342/28	0.21
345, 346/1, 346/2	0.15
347	0.11
478	0.17
479/1	0.07
490	0.16
480	0.04
481/2	0.02
481/4	0.04
508/1	0.06
योग	5.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुड़पार जलाशय में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अप्रैल 2005

क्रमांक 05/अ-82/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-मुड़पार, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12/1	0.12
12/3	0.32
18	0.23
19	0.10
20	0.12
21	0.37
41	0.11
96	0.07
43/1	0.05
43/2	0.05

(1)	(2)
44	0.09
45	0.45
46	0.13
48/1	0.11
48/2	0.10
49	0.42
53/2	0.13
54	0.11
97	0.10
98	0.07
99	0.09
100	0.19
104/2	0.16
101	0.23
102	0.02
104/1	0.03
103	0.03
105	0.13
115/1	0.25
128/4	0.22
133/1	0.06
133/5	0.08
133/2	0.14
133/4	0.06
133/3	0.41
135	0.44
137	0.12
150	0.07
152	0.07
151	0.05
153/2	0.19
153/3	0.11
188/1	0.38
योग	6.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुड़पार जलाशय में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अप्रैल 2005

क्रमांक 470/अ-82/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-मुड़पार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
212/1	0.08
योग	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुड़पार जलाशय में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अप्रैल 2005

क्रमांक 14/अ-82/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धोबनीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.67 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2/1	0.62
2/2	0.61
3/1	0.63
3/2	0.25
3/3	0.13
13/1	0.12
37	0.07
18	0.10
24	0.16
25	0.35
26	0.64
27	0.63
28	1.00
33	0.20
35	0.20
36	0.23
16	0.36
105	0.11
106	0.06
29	0.20
योग	6.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहरेंगिया के डुबान में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अप्रैल 2005

क्रमांक 14/अ-82/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-गांगपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
40	0.03
43/1	0.23
44	0.07
46	0.02
70/1	0.03
70/2	0.05
योग	0.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गांगपुर माइनर में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 15/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-ओड़ारसकरी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
564	0.01
570/2	0.18
570/1	0.10
571	0.02
569	0.05

(1)	(2)
568/2	0.12
543	0.06
540/3	0.05
540/2	0.05
539	0.01
654	0.04
653	0.02
514/2	0.06
655	0.01
योग	0.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत जोगनाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 17/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-डुड़िया, प. ह. नं. 84/5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
622/1	0.02
622/2	0.03
622/3	0.04
620	0.06
550	0.02
551	0.10
547	0.06
549	0.01
योग	0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत जोगनाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 23/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-बघेली, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.81 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
382/16	0.10
382/24	0.06
382/20	0.05

(1)	(2)
382/12	0.05
382/18	0.07
382/22	0.10
382/23	0.10
622	2.95
623	0.42
369	0.48
371	0.11
78	0.05
76	0.06
73	0.05
72	0.12
52	0.04
योग	4.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत बघेली जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 24/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-साजा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
395/1	0.45
योग	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत साजा जलाशय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 25/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-डुड़िया, प. ह. नं. 84/5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
365	0.26
योग	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत जोगनाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 26/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-खुरसुनी, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
952	0.05
953	0.02
948	0.15
947	0.14
949/2	0.03
949/4	0.08
949/3	0.16
946/2	0.08
945	0.24
योग	0.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत बघेली जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 27/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-खैरबना, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.13 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
3	0.18
249	0.30
248	0.15
250	0.37
251	0.23
253/1	0.30
252	0.23
4/1	0.04
4/2	0.13
4/3	0.20
योग	2.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत मटिया माइनर क्रमांक 4 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन,मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 28/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-सलौनी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
169	0.55
367	0.12
167	0.40
166	0.08
62	0.10
165	0.08
163	0.08
123	0.18
124	0.15
126	0.10
127	0.12
128	0.12
125	0.12
112	0.12
129	0.05
130	0.07
135	0.12
134	0.22
138	0.12
139	0.13
140	0.22
67	0.07
71	0.05
68	0.12
69	0.02
72	0.04
73	0.04
74	0.02
76	0.22
98	0.32
100	0.02
101	0.13
102	0.10
योग	4.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत सलौनी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 29/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-मटिया, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.75 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
610	2.45
579	0.05
577	0.48
576	0.27
564/1	0.10
565	0.40
554/2	0.15
554/3	0.20
554/1	0.17
578	0.18
165	0.02

(1)	(2)
164	0.25
161	0.37
111	0.55
427	0.07
426	0.10
423	0.03
425	0.10
424	0.15
421	0.20
415/1	0.18
415/2	0.03
417	0.13
877/1	0.80
880	0.48
879	0.53
876/1	0.40
392/4	0.13
392/2	0.07
392/1	0.02
853/1	0.15
853/2	0.20
852	0.23
855	0.02
849	0.10
850	0.15
854	0.20
846	0.50
838/1	0.18
835	0.17
892	0.37
895	0.20
851	0.05
896	0.07
897	0.08
898	0.33
899/1	0.20
899/2	0.17
902/1	0.20
902/2	0.15
900	0.50
837/1	0.27
700	0.25
698	0.40
690/1	0.07
690/2	0.03
668/1	0.27
667	0.22
666	0.80
644	0.45
663	.50
661	0.03
651	0.18
650/2	0.16
640	0.03
649	0.03
638	0.22
648	0.15
647	0.16
701/3	0.25
योग	17.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत हड़गहन वितरक नहर एवं मटिया माइनर क्र. 1, 2, 3, 4 एवं 5 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 30/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-अर्जुन्दा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.96 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
617	0.20
616	0.18
615	0.13
557	0.15
614	0.04
558	0.17
559	0.03
564	0.01
561	0.03
563	0.01
556	0.03
562	0.01
554	0.65
537	0.15
539	0.17
541/1	0.03
555	0.33
525	0.20
540/1	0.23
540/2	0.20
526	0.01
योग	2.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत मटिया माइनर क्र. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 31/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-तिलखैरी, प. ह. नं. 7
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.28 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
277	0.08
274	0.10
275	0.27
265/4	0.02
292	0.28
293	0.33
276/1	0.20
योग	1.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत चीचा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 32/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-चीचा, प. ह. नं. 7
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.34 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
354	0.10
315	0.05
316	0.08
317	0.03
318	0.07
322	0.05
319	0.12
320	0.18
321	0.05
323	0.05
324	0.05
326	0.02
327	0.02
329	0.13
325	0.08
328	0.02
330	0.08
331	0.33
1021	0.15
1022	0.10
713	0.18
1023/1	0.28
997/5	0.18
1023/2	0.03
997/13	0.02
997/11	0.05
965/1	0.08
965/6	0.36
1028/1	0.03
997/6	0.28
997/10	0.05
965/5	0.20
997/7	0.03
997/12	0.30
965/2	0.02
965/8	0.25
965/4	0.10
1029	0.13
1030	0.08
973	0.20
972	0.25

(1)	(2)
966	0.15
880	0.07
881	0.05
876	0.15
937	0.10
875	0.05
872	0.20
874	0.07
873	0.08
871	0.03
870	0.02
869	0.20
854	0.07
862	0.08
860	0.03
863	0.02
866	0.05
861	0.03
867	0.07
868	0.13
739	0.05
859	0.07
734	0.35
770	0.13
773	0.23
727	0.13
728	0.03
729	0.03
737	0.02
738	0.23
740/2	0.03
882/1	0.02
740/1	0.13
714	0.18
712	0.05
1025	0.13
936/1	0.03
884/1	0.12
735/1	0.18
735/2	0.08
940	0.20
941/1	0.10
945	0.20

(1)	(2)
946/3	0.10
947	0.12
948	0.05
931	0.02
932	0.23
922	0.05
917	0.28
919	0.18
920/1	0.17
911	0.10
1091	0.15
1092/1	0.10
941/2	0.12
920/2	0.08
910/1193	0.18
910/1192	0.16
1092/2	0.02
योग	11.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत हड़गहन वितरक नहर, चीचा माइनर एवं सलौनी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 33/अ-82/.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-ओड़ारसकरी, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.74 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1033/1	0.25
866	0.35
1030	0.34
1028	0.32
1009	0.70
1153	0.03
1022	0.10
1021	0.15
1015	0.20
1017	0.02
1018	0.02
1019	0.02
1000	0.09
1020	0.02
1006	0.18
1214	0.07
184	0.58
212	0.13
1215	0.20
1101	0.06
1102	0.15
1150	0.03
1155/1	0.17
981/10	0.01
972	0.30
978	0.15
1201	0.34
1202	0.80
1217	0.33
1216	0.05
1226	0.13
1100	0.02
1225	0.17
1227	0.13
1228	0.30
876	0.10
878	0.10
862	0.08
863	0.13
374	0.28
238/2	0.35

(1)	(2)	(1)	(2)
238/3	0.28		
237	0.35	643	0.20
236	0.45	574/1	0.22
237	0.30	576	0.07
230	0.23	583/1	0.16
228/2	0.16	583/3	0.18
228/1	0.18	568/2	0.20
213	0.10	568/3	0.17
209	0.20	1152	0.17
206	0.25	1153	0.20
205	0.12	1146	0.23
203	0.25	1145	0.07
196/3	0.20	1155/2	0.10
181	0.05	1157	0.03
195	0.03	1159	0.02
194	0.18	1158	0.45
178	0.05	1160	0.10
180	0.16	1161	0.30
179/1	0.05	1171	0.18
179/2	0.03	1172	0.15
1024/2	0.35	1186	0.07
995/1, 995/5	0.18	1187	0.13
993/3	0.01	1173	0.15
995/3	0.08	1283	0.17
993/4	0.02	1174	0.06
995/4	0.07	1185	0.07
995/2	0.04	1176	0.02
993/2	0.07	1189	0.27
976/2	0.23	1190	0.22
976/3	0.12	1193	0.28
976/4	0.25	1191	0.27
975/1	0.06	1192	0.16
231/1, 231/2	0.32	1194	0.06
233/1	0.02	1308	0.15
991	0.02	1309	0.17
642	0.13	1310	0.03
1025	0.07	1311	0.05
592	0.12	1322	0.23
593	0.08	1313	0.18
594	0.02	1316	0.08
624	0.20	1318	0.02
625	0.15	1320	0.13
626	0.05	1331	0.35
585	0.15	1272	0.23

(1)	(2)
1274	0.22
1281	0.07
1282	0.16
1284	0.17
1154/2	0.15
1147/1	0.15
1184/1	0.03
1317/1	0.27
1317/2	0.17
238/2	0.07
239	0.12
241	0.14
243	0.25
244	0.18
255	0.20
256	0.40
245	0.27
260	0.25
340/2	0.53
340/1	0.25
346	0.02
347	0.25
348	0.20
352	0.32
353/1	0.20
353/2	0.15
357	0.22
358/1	0.43
254/2	0.20
240	0.30
254/1	0.13
297/1	0.17
297/2	0.18
354/1	0.30
238/2	0.10
238/3	0.15
238/1	0.40
158	0.17
130	0.53
159	0.20
160	0.03
169	0.35
168	0.07
167	0.04
166	0.10
138	0.35
137	0.23
135	0.17
131	0.28
171/1	0.15
171/3	0.17
योग	31.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत हड़गहन वितरक नहर एवं ओड़ारसकरी माइनर क्र. 1, 2, 3 एवं देवगहन माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 34/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-देवगहन, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.15 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
472/3	0.55
472/2	0.18
471/2	0.67

(1)	(2)
471/3	0.05
497/1	0.20
498	0.07
500	0.15
501	0.40
502	0.49
552	0.20
125/3	0.13
126	0.23
129	0.12
132	0.13
137	0.17
133	0.15
138/1	0.28
130	0.10
138/3	0.08
146	0.33
150	0.27
147/1	0.22
148	0.48
151/2	0.08
152	0.06
154	0.35
256	0.25
257	0.12
239	0.20
375	0.22
378	0.02
379	0.55
373	0.32
131	0.07
10	0.35
13	0.28
18	0.06
12	0.33
27	0.02
39	0.10
47	0.03
49	0.02
48	0.05
50	0.02
योग	9.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत मटिया माइनर क्र. 5, ओड़ारसकरी माइनर क्र. 2 एवं देवगहन माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

क्रमांक 447 /सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.855 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
622/10	0.081

(1)	(2)
793/8	0.060
769/1, 4	0.056
793/7	0.044
768/1	0.028
452	0.07
451, 450/1	0.081
628/4-7	0.064
641/1	0.064
616/2	0.036
624/5	0.048
635/5	0.113
450/2	0.060
769/4	0.060
योग	0.855

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवागांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/741/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.73 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1113/1	0.09
1113/2	0.10
1114/2	0.13
1114/1	0.09
1115/4	0.08
1115/1	0.17
1115/5	0.04
1123/1	0.29
1116	0.03
1124	0.21
1094/2	0.08
1194/1	0.03
1093/1, 1125	0.26
1093/2	0.13
योग	1.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर के किरारी माइनर क्र. 4 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 71/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.108 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
430/3, 5	0.036
424/1	0.040
430/4	0.016
664/4	0.016
योग	0.108

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिधौरी सब माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 72/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सेंदरी, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1067/3	0.040
योग	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटेकेला वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 73/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34/1, 35/1	0.016
38	0.004
44	0.053
43/1	0.016
योग	0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा उप वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 74/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-रेड़ा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
858	0.129
योग	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परसापाली नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 75/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पोरथा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121	0.045
488/8	0.028
योग	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004-05/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-साराडीह, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
21	0.29
योग	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर के साराडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004-05/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बिलाईगढ़, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.86 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
269/1	0.04
268	0.14
266, 264/1	0.10
265	0.05
289	0.12
290	0.02
291/2	0.15
288/2	0.27
288/1	0.01
293/1	0.05
293/2	0.03
292/2, 296	0.21
297	0.07
318/4	0.13
298	0.08
317	0.03
308	0.12
311	0.24
योग	1.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर में बिलाईगढ़ माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 205/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.213 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5869, 5877/1	0.112
5877/2	0.073
5878	0.020
5870	0.008
योग	0.213

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गलगलाडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 206/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.740 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2923/2, 2921/1	0.081
2923/1, 2921/2	0.040
2747/1	0.053
2708/3	0.142
2708/1	0.045
2756	0.012
2708/7	0.140
2931	0.004
2932	0.004
2937	0.020
2945/2	0.036
2936	0.036
2938/2, 2938/1	0.048
3046	0.024
3045, 3059/1, 3060/1	0.057
2973/1	0.020
3169	0.004
3166, 31	0.072
3168	0.012
3327/3	0.040
3327/4	0.012
3224/1, 3273/1	0.040
3272, 3273/2	0.180
3048	0.024
3014	0.028
2747/3	0.008
2739	0.061
3061	0.012
3060/2	0.004
3308/4	0.032
3308/5	0.032
3313	0.040
2565/4	0.056
3329/2	0.121
2567	0.061
3308/6	0.024
3311	0.004
3312	0.008
3314/1	0.020
3158	0.020
3345/2, 3324/2	0.064
योग 35	1.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-जैजैपुर माइनर 3.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसेदव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 207/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरजुनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174	0.069
47	0.024
योग	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बगदेवा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 208/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मोंहदी खुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
235/3	0.024
योग	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मोंहदीकला वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 209/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-डिक्सी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
746/1	0.032
286	0.008
योग	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मोंहदीकला वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2005

क्रमांक 223/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मसनिया खुर्द, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.352 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54/1	0.006
53/2	0.045
45	0.002
115	0.083
183	0.071
112	0.061
111/1	0.016
111/2	0.012
83	0.042
182	0.014
योग	0.352

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2005

क्रमांक 224/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-रगजा, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.322 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
144	0.134
591	0.028
594	0.105
137	0.057
595	0.004
605	0.008
636, 740/1	0.061
740/2	0.008
744	0.020
603/1	0.081
1374/2, 1377/1	0.109
1377/2	0.206
1510/4	0.024
1523	0.028
1517/1	0.012
1520	0.101
640	0.024
1444/1	0.069
1444/2	0.069
1092, 1093	0.162
1525	0.012
योग 21	1.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2005

क्रमांक 225/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-मसनिया खुर्द, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.732 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
132/2	0.700
322/4	0.024
345/1	0.008
योग	0.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 1 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/2 अ/82 वर्ष 02-03/36.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-मुकुंदपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
516	0.05
518/1	0.10
121	0.12
519	0.01
518/2	0.10
489	0.15
500	0.20
501	0.13
113/1	0.06
167	0.05
122/5, 166	0.25
165/4	0.02
491	0.08
168	0.14
490	0.15
493	0.14
507	0.54
योग	2.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोन्दूर प्रदायक नहर के अंतर्गत भटका पारा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 4 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/05 अ/82 वर्ष 04-05/1719.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.29 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
141/2	0.33
132/1 ख, 140/1, 140/2 ख 140/3 क, 140/4 ख, 140/4 ग	0.49
132/1 स	0.52
132/1 ब	0.31
132/1 ङ, 147/16	0.34
147/37	0.12
147/9	0.18
योग 7	2.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलरगांव जलाशय के अंतर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/15 अ/82 वर्ष 04-05/1723.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-कसपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.06 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
94/2	0.03
94/3	0.18
94/6	0.14
95/1	0.15
98/1	0.75
98/23	0.10
98/2	0.16
98/10	0.07
98/18	0.01
99/1	0.15
99/9	0.30
128	0.60
99/2	0.22
99/3	0.22
99/4	0.10
99/8	0.08
99/5	0.12
100/1	0.35
100/2	0.10
124/1	1.05
124/4	0.10
124/12	0.08
योग 22	5.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सीतानदी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत तसपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/06 अ/82 वर्ष 04-05/1728.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-मोहमल्ला (मा. गु.)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.64 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
50/1, 52	0.73
54	0.46
55/2	0.01
60/1	0.24
56/1	0.52
58/2	0.30
60/2	0.38
योग 7	2.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहमल्ला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/03 अ/82 वर्ष 04-05/1732.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-नगरी
(ग) नगर/ग्राम-सरईटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.76 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
88/9	0.48
88/5	0.80
87/2	0.24
87/1	0.50
69/1	0.40
22/9	0.34
योग 6	2.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बटनहर्रा जलाशय क्रमांक 2 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/08 अ/82 वर्ष 04-05/1736.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-नगरी
(ग) नगर/ग्राम-भूमका (मा. गु.)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.02 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
346/1	0.07
346/2	0.05
346/3	0.05
345/1, 345/2	0.24
334	0.02
335/1	0.03
337	0.07
339	0.08
341	0.11
335/7	0.07
349/3	0.02
350	0.05
340	0.02
338	0.02
333/1	0.05
335/6	0.07
योग 16	1.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलरगांव जलाशय के अंतर्गत भूमका माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/02 अ/82 वर्ष 04-05/1740.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-नगरी
(ग) नगर/ग्राम-गट्टासिल्ली (मा. गु.)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.44 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
350/5	0.40
350/8	0.25
350/1	0.21
406/2	0.08
406/1	0.18
351/1	0.10
352	0.10
369	0.13
353/1	0.23
351/3	0.17
368/2	0.14
368/3	0.20
368/1	0.31
372	0.02
373/1	0.13
365	0.82
363	0.66
312/2	0.08
312/3	0.14
305/4	0.01
305/2	0.08
योग 21	4.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बटनहर्रा जलाशय क्रमांक 2 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/13 अ/82 वर्ष 04-05/1744.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-नगरी
(ग) नगर/ग्राम-नवागांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.94 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/2, 2/4	0.34
1/13, 2/25	0.10
1/25, 2/40, 2/42	0.22
1/14, 2/32, 2/33	0.63
2/3, 17, 18, 30	0.10
2/22, 23, 24, 27, 35, 36	0.20
2/26, 43	0.10
2/29, 38	0.03
2/34	0.30
2/37	0.02
11/9	0.20
11/25	0.03
11/10	0.03
13/1	0.10
13/3	0.18
13/2	0.28
16/1	0.25
16/2	0.13
16/4	0.25
11/24	0.05
17/6-13	0.18
17/26	0.05

(1)	(2)
17/22	0.03
17/10, 12, 18/1, 2	0.03
17/21	0.11
योग 25	3.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सीतानदी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नवागांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/14 अ/82 वर्ष 04-05/1749.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.43 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
176/2	0.02
176/3- 6 / 2	0.15
176/5	0.02
176/3- 6 / 1	0.34
176/4	0.15
174, 206, 207, 208 / 32	0.03
180/1 ख	0.03
180/1 ख/1	0.06
180/1 ख/2	0.08
180/1 ख/8	0.01
180/1 ख/10	0.02
180/1 ख/5, 180/1 ख/6 180/1 ख/7	0.22
180/1 द	0.10
180/1 छ, 186/6, 209/6	0.04
180/1 ञ, 186/9, 209/9	0.06
180/1 झ, 186/8, 209/8	0.08
166/6	0.15
166/4	0.04
166/5	0.15
166/3	0.15
191/2	0.06
191/1	0.14
164/2, 167, 168	0.33
योग 23	2.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सीतानदी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत कसपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 22 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ/82 वर्ष 04-05/1324.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-गढ़डोंगरी मा.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
858	0.20
923	0.02
935	0.05
937/1	0.05
937/2	0.02
938	0.03
939	0.02
940	0.03
958	0.09
959	0.03
960	0.08
962	0.11
963	0.21
980	0.07
981	0.14
982	0.14
984	0.62
985	0.03
986	0.08
987	0.08
1016	0.19
1018	0.56
1021	0.23
योग 23	3.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोंढूर प्रदायक नहर प्रणाली के सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत गढ़डोंगरी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 22 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/17 अ/82 वर्ष 04-05/1326.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-गढ़डोंगरी मा.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.67 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
343	0.03
347	0.04
348	0.10
349/1	0.38
350	0.02
382	0.06
391	0.05
392/1	0.02
392/2	0.03
393	0.05
400	0.05
401/1	0.26
406	0.09
407	0.06
408	0.08
410	0.16
565	0.06
575	0.13
योग 18	1.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोंढूर प्रदायक नहर प्रणाली के सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत भोलापुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 22 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/18 अ/82 वर्ष 04-05/1328.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-धमतरी
  (ख) तहसील-नगरी
  (ग) नगर/ग्राम-गढ़डोंगरी मा.
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
692	0.12
693	0.31
694	0.10
697	0.13
योग 4	0.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोंढूर प्रदायक नहर प्रणाली के सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत जरहीडीह माइनर क्र. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 22 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/19 अ/82 वर्ष 04-05/1330.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-धमतरी
  (ख) तहसील-नगरी
  (ग) नगर/ग्राम-गढ़डोंगरी मा.
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
729/2	0.23
729/3	0.30
731	0.29
741	0.28
793/1	0.60
योग 5	1.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोंढूर प्रदायक नहर प्रणाली के सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत जरहीडीह माइनर क्र. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 22 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/20 अ/82 वर्ष 04-05/1314.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-धमतरी
  (ख) तहसील-नगरी
  (ग) नगर/ग्राम-गढ़डोंगरी रैयतवारी
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.04
2/1	0.07
2/2	0.42
3/14	0.05
3/15	0.05
3/16	0.07
34	0.07
36	0.05
37	0.04
38	0.07
39	0.09
44	0.16
125	0.14
126	0.12
129/1	0.10
129/2	0.23
130/1	0.22
130/4	0.44
131	0.11
132	0.13
133	0.16
134	0.10
170, 261	0.34
220	0.14
260	0.06
262	0.07
264	0.06
265	0.06
266	0.12
267	0.06
268	0.05
269	0.10
276	0.30
277	0.02
281	0.05
562	0.20
563	0.07
567	0.10
572	0.07
573	0.15
574	0.07
584	0.09
586	0.07
587	0.06
588	0.09
591	0.03
592	0.07
616/1	0.20
623	0.14
624	0.10
योग 51	5.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोंढूर प्रदायक नहर प्रणाली के सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत जरहीडीह माइनर क्र. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1404/भू-अर्जन/21 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-तिर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.18
7	0.25
30	0.05

(1)	(2)
84	0.15
80	0.04
3	0.04
55	0.13
53	0.08
योग 8	0.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1400/भू-अर्जन/22 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-सिलतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78/1	0.16
78/2	0.06
39/4	0.42
58/1	0.31
71, 77	0.16
75	0.32
80/2	0.06
80/1 क	0.03
80/1 ख	0.03
70	0.03
73	0.02
76/1	0.30
59/2	0.30
56	0.18
161	0.16
57/2	0.06
39/5, 39/6	0.50
योग 17	3.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1396/भू-अर्जन/23 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-कोलियारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.20
2	0.25
13	0.02
15	0.28

(1)	(2)
29	0.04
30	0.05
5/190	0.12
12	0.03
17	0.76
35	0.02
3	0.20
36	0.03
26	0.02
31	0.07
32	0.04
23	0.05
37	0.04
14	0.02
40	0.08
21	0.12
16	0.04
39	0.04
20	0.02
33	0.02
24	0.02
25	0.03
18	0.16
34	0.07
22	0.04
38	0.10
57	0.02
28	0.04
योग 32	3.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1390/भू-अर्जन/24 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-उरपुटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54	0.19
56	0.10
योग 2	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1380/भू-अर्जन/25 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-अरौद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	1.26
योग	1.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1386/भू-अर्जन/26 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-माटेगहन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.06
7	0.43
3	0.16
6	0.28
योग 4	0.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-पुरेना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/7	0.008
25/10	0.024
योग	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-घघरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.142 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
84/2, 84/4	0.142
योग	0.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-बकेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.258 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
748/15	0.020
765/3	0.028
748/1	0.040
740/1	0.077
673/1	0.061
718	0.012
748/7	0.020
योग	0.258

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-चारपारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
122	0.012
योग	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-तुरेकेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.390 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
734/1	0.085
733/6	0.036
630/1	0.061
735/4	0.008
746/1	0.057
755/2	0.061
747/3	0.040
572	0.042
योग	0.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-भैनापारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.445 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
355/1	0.028
355/5	0.008
355/2	0.008
355/4	0.012
239/4	0.142
332/1	0.040
332/5	0.081
356/1	0.013
231/3	0.113
योग	0.445

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-बानीपाथर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.892 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
213/1	0.200
233/2	0.020
246/3	0.053
315/1, 315/5	0.053
342/2, 343/1, 344/1, 345, 344/2	0.239
346/2	0.061
349/1	0.016
353	0.040
563/3	0.069
213/10	0.121
307/1, 341/2, 342/1, 343/2	0.020
3	
योग	0.892

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005

प्र. क्र. 2/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी, प. ह. नं., 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
440/1	0.090
440/2	0.030
440/3	0.030
योग 3	0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह 2×250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ पाईपलाईन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005

प्र. क्र. 3/अ-82/2004-2005/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम-डिंडोलभाठा, प. ह. नं., 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-45.858 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42/3	0.129
45/3	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
42/2	0.081	95	0.040
148/4	0.024	115/1	0.356
115/4	0.129	117/1	0.162
341	0.437	116	0.040
43	0.085	115/3	0.121
45/1	0.049	120	0.004
45/5	0.190	148/2	0.061
47/1	0.040	318/1	0.320
51/1	0.158	87	0.012
56/3	0.202	88/1	0.121
59/1	0.146	93	0.065
60/3	0.040	110	0.081
60/5	0.065	113	0.154
84/4	0.016	114	0.437
86/1	0.049	122/2	0.040
62	0.032	136	0.206
63/1	0.190	303/2	0.295
56/1	0.032	91	0.134
45/4	0.191	126/2	0.437
46	0.016	306	0.129
53	0.061	333, 334	0.530
54	0.032	72/3	0.121
56/5	0.020	76/2	0.174
86/3	0.101	80/3	0.008
80/2	0.101	81	0.040
60/6	0.020	77, 78, 79	0.473
59/3	0.214	335	0.547
47/3	0.040	82	0.304
47/2	0.263	117/2	0.020
51/2	0.158	118	0.219
57	0.016	337, 338	0.368
56/2	0.049	127	0.312
59/2	0.218	149	0.178
60/4	0.057	316/2	0.040
86/2	0.101	317	0.445
130/2	0.243	71	0.008
170/2	0.057	66	0.129
130/3	0.190	69	0.040
130/4	0.081	70	0.032
170/1	0.057	80/1	0.174
98	0.154	84/1	0.223
112/1	0.405	100	0.324
148/1	0.097	122/1	0.324
94/1	0.320	61/2	0.028
		75/2	0.032
		92	0.101

(1)	(2)
109/3	0.061
321	0.279
319	0.073
327	0.012
328	0.267
329	0.028
313	0.182
314	0.210
316/3	0.012
304/1, 308/1	0.239
316/1	0.150
315/1	0.150
131	0.138
336/3	0.081
336/2	0.101
330/1	0.129
336/1	0.210
336/5	0.206
340/1	0.283
145	0.154
132	0.405
41/3	0.534
134	0.304
30	0.178
109/2	0.142
142	0.057
326	0.162
151/1	0.202
151/3	0.522
28	0.012
29/2	0.174
312	0.283
29/1	0.223
31	0.032
40	0.040
41/1	0.121
50/2	0.016
130/1	0.291
135	0.081
129	0.656
133	0.312
137/1	0.081
141, 143	1.226
162/1	0.012
167/1	0.320

(1)	(2)
309/1	0.162
128	0.567
109/1	1.214
115/2	0.121
119	0.121
107, 108	0.656
330/2	0.129
336/4	0.206
MW TPP	0.049
88/2, 89	0.502
105, 106	0.275
109/4	1.162
109/5	0.162
111/1	0.162
138	0.299
147	0.178
169	0.243
310	0.721
86/4	0.101
60/7	0.081
58/2	0.061
47/4	0.162
63/2	0.049
65	0.040
56/4	0.223
72/1	0.210
84/2	0.271
84/5	0.020
122/3	0.445
72/2	0.105
72/4	0.016
84/3	0.223
76/1	0.170
83	0.142
150/1	0.149
123	0.490
137/2	1.238
157/2	0.162
309/2	0.162
124/1	0.210
303/1, 304/2	0.65
303/7, 304/9	0.219
124/2	0.129

(1)	(2)
303/3, 304/5	0.089
303/8, 304/10	0.219
124/3	0.077
303/4, 304/6	0.065
303/9, 304/11	0.219
124/4	0.053
303/5, 304/7	0.040
303/10, 304/12	0.283
305	0.008
307	0.101
124/5	0.053
124/6	0.057
303/11, 304/13	0.243
303/6, 304/8	0.121
125	0.004
126/1	0.458
139	0.539
140	0.186
144	0.466
315/2	0.247
331	0.636
332	1.125
41/2	0.388
60/2	0.231
94/2	0.101
150/2	0.105
150/3	0.142
322/1	0.170
322/2	0.170
48/1	0.182
49/1	0.041
48/2	0.182
49/2	0.040
45/2	0.040
60/1	0.263
61/1	0.134
61/3	0.109
67	0.016
73	0.413
85	0.186
97	0.109
102	0.170
112/2	0.182
121	0.247
146	0.324
148/5	0.275
101	0.073
103	0.028
104	0.129
111/2	0.142
304/3, 308/2	0.231
304/4, 308/3	0.405
318/2	0.178
320	0.372
322/3	0.004
322/4	0.016
323	0.049
324	0.150
325	0.235
330/3	0.125
योग 225	45.858

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह 2×250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ बांध का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005

प्र. क्र. 4/अ-82/2004-2005/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-बिरवट, प. ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.047 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
203/1, 208, 209	0.040
79/2	0.035
186, 185/1	0.190
135/2, 142	0.110
144/2	0.040
146	0.090
145	0.040
149	0.012
131	0.004
150/1	0.030
161	0.004
112	0.016
110/3	0.120
182/1	0.115
135/1	0.065
111	0.100
110/2	0.028
150/3	0.004
137	0.004
योग 19	1.047

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह 2×250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ पाईपलाईन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.